न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 157 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. अणसीदेवी पत्नी सरूपाराम जाति जाट निवासी भूणिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	बनाम	1.तगाराम पुत्र नंदराम 2.पूरोंदेवी पत्नी टीकमाराम 3.खेताराम पुत्र टीकमाराम 4.किशनाराम पुत्र टीकमाराम 5.बाबूराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी लोमरोड़ों की बस्ती तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 6.शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा भूणिया 7.तहसीलदार / उपपंजीयक, सेड़वा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 205 / 2016 बअनवान अणसीदेवी बनाम तगाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 20.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 246 रकबा 64.13 बीघा मौजा लोमरोड़ो की बस्ती पटवार क्षेत्र भूणिया तहसील सेड़वा में आया हुआ है जिसमें वादीनी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का है। अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट भूणिया में दिनांक 11.07.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सेड़वा से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई से उसी दिन दिनांक 11.07.2017 को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने मिलीभगत करते हुए मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित मौके पर गये बिना ही कैम्प कोर्ट में दिनांक 11.07.2017 को विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के कैम्प कोर्ट सेड़वा में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट की आपति लिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। तहसीलदार स्वयं ने मौका मुआयना नहीं कर अधीनस्थ कार्मिक को अपने अधिकार हस्तांतरण किये तथा विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षर किये है जबकि विभाजन में मामले में तहसीलदार स्वयं को मौका मुआयना करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 10–12 दिन पूर्व अपीलांट अपने बाहामी बंटवाड़े के अनुसार भूमि पर रबी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की फसल काश्त करने हेतु तैयारी करने लगी तो उतरदातागण ने कहा कि इस वर्ष हम भूमि विधिवत बंटवाड़े के अनुसार काबिज होकर काश्त करेगे तथा आपको पुराना कब्जा व ढाणी खाली करनी पड़ेगी तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने कोई सही ढंग से जवाव नहीं दिया जिस पर अपीलांट ने दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 04.10.2017 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 04.10.2017 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्ततिक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मिंयाद वाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कैम्प कोर्ट सेड़वा में अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सेड़वा ने अपनी ओर से निरीक्षक व पटवारी को अधिकृत कर दिया, जो नियम विरूद्ध है न्याय का मत है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Delegated Powers cannot be delegated. अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव हेतु तैयार नक्शा मौके की पैमाईश कर तैयार नहीं किया गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को उज्र ऐतराज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 205/2016 बअनवान अणसीदेवी बनाम तगाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

20/2/20

(नाथूसिंह राठौड़)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/2/20

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner